बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

संख्या–14 / मुक0–11–01 / 2024 / पटना, दिनांक–

श्री प्रभुनाथ प्रसाद (आई०डी० संख्या–एम० 0264) द्वारा जल संसाधन विभाग में कनीय अभियंता के पद पर दिनांक 26.12.1972 को योगदान समर्पित किया गया। श्री प्रभुनाथ प्रसाद को विभागीय अधिसूचना संख्या–322 दिनांक 20.08.1986 के द्वारा सहायक अभियंता (यॉंत्रिक) के पद पर प्रभार ग्रहण की तिथि से प्रोन्नति प्रदान की गयी। तदोपरान्त श्री प्रसाद को विभागीय अधिसूचना संख्या–1156 दिनांक 14.08.1997 द्वारा कार्यपालक अभियंता (यॉंत्रिक) के पद पर दिनांक 01.09.1993 के प्रभाव से प्रोन्नति प्रदान की गयी ।

2. श्री प्रसाद को विभागीय परीक्षा पास नहीं होने के कारण विभाग को विमुक्ति हेतु समर्पित आवेदन को विभागीय पत्रांक–459 दिनांक–20.04.2009 द्वारा अस्वीकृत किया गया ।

3. दिनांक 08.07.2008 को सम्पन्न विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक (आयोग सहित) के दौरान श्री प्रसाद को कार्यपालक अभियंता (यॉंत्रिक) से अधीक्षण अभियंता (यॉंत्रिक) के पद पर प्रोन्नति प्रदान करने के बिन्दु पर विचारण के क्रम में समिति द्वारा तत्समय श्री प्रसाद के संबंध में **बंद लिफाफा में**, अनुशंसा की गयी ।

4. सी0डब्लु0जे0सी0सं0– 15229/2010 (श्री प्रभुनाथ प्रसाद बनाम बिहार सरकार एवं अन्य) के मामले में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 28.11.2023 को आदेश पारित हुआ, जिसका मुख्य कार्यकारी अंश निम्नांकित है :–

"Learned counsel for the State, on the other hand, fairly submits that in view of the order dated 17-02-2023 passed in CWJC No.- 21218 of 2013 this writ application may be disposed of with direction to the State to take a decision with respect to the promotion of the petitioner to the post of Superintending Engineer from appropriate date and at least from the date his juniors were granted such promotions (on 29-07-2002) and revised pension accordingly and the arrears of salary also.

Accordingly, this writ application stands allowed with the direction to the State - respondents especially the respondent Nos. 2 and 6, the Secretary, Department of Water Resources, Government of Bihar, Patna and the Secretary, Department of Minor Irrigation, Government of Bihar, Patna to take the decision within a period of three months from the date of receipt/production of a copy of this order to pay all the consequential benefits to the petitioner along with arrears of salary, if any, within next three months."

5. सी0डब्लु0जे0सी0सं0– 21218 / 2013 (प्रभुनाथ प्रसाद बनाम बिहार सरकार एवं अन्य) में दिनांक–17.02.2023 को पारित न्यायादेश के आलोक में लघु जल संसाधन विभाग का आदेश संख्या–151 दिनांक–30.06.2023 द्वारा अपने पूर्व के आदेश संख्या–212 सह–पठित ज्ञापांक–5489 दिनांक–10.10.2012 द्वारा संसूचित शास्ति / दण्ड को निरस्त किया गया है।

6. श्री प्रसाद को विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण हुये बिना ही विभागीय अधिसूचना संख्या–1156 दिनांक–14.08.1997 द्वारा दिनांक–01.09.1993 के प्रभाव से सहायक अभियंता से कार्यपालक अभियंता

में प्रोन्नति विभाग द्वारा प्रदान की गयी है, जो सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–11971 दिनांक–13.11.1998 के आलोक में देय नहीं था।

7. सी0डब्लु0जे0सी0सं0–15229/2010 (प्रभुनाथ प्रसाद बनाम बिहार सरकार एवं अन्य) में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–28.11.2023 को पारित न्याय निर्णय के आलोक में श्री प्रभुनाथ प्रसाद, सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियंता (यॉंत्रिक) को कार्यपालक अभियंता से अधीक्षण अभियंता के पद पर प्रोन्नति दिये जाने अथवा विभागीय अधिसूचना संख्या–1156 दिनांक 14.08.1997 द्वारा उन्हें पूर्व प्रदत्त कार्यपालक अभियंता के पद से पदावनति किये जाने के विन्दु पर विधिक परामर्श प्राप्त करने हेतु संचिका विधि विभाग को पृष्ठांकित की गयी, जिसके क्रम में विद्वान महाधिवक्ता, बिहार, पटना से प्राप्त परामर्श का मुख्य अंश निम्नवत् है :–

The question which are being raised now that he had not passed departmental examination are simply irrelevant. When he was already allowed promotion w.e.f. 1993 to the post of Executive Engineer, at this stage, the plea that he has not cleared departmental examinations will not come in aid of denying him the benefit of Consideration for promotion to the higher post of Superintending Engineer in pursuance of order of the Court.

In my considered view, there is absolutely no ground for filing LPA. The order of the Writ Court be complied forthwith.

8. वरीयता सूची में श्री प्रभुनाथ प्रसाद एवं श्री उमाकान्त पासवान का कार्यपालक अभियंता (यॉंत्रिक) के पद पर प्रोन्नति की तिथि क्रमशः दिनांक–01.09.1993 एवं 11.01.1994 अंकित है, जिससे स्पष्ट होता है कि कार्यपालक अभियंता (यॉंत्रिक) के रूप में वादी श्री प्रभुनाथ प्रसाद से निकटतम कनीय (Just Junior) श्री उमाकान्त पासवान हैं।

9. विभागीय अधिसूचना संख्या–1129 दिनांक–09.05.2008 द्वारा निर्गत कार्यपालक अभियंता (यॉंत्रिक) के वरीयता सूची के आलोक में दिनांक–08.07.2008 को विभागीय प्रोन्नति समिति (आयोग सहित) की संपन्न बैठक में की गयी अनुशंसा के अनुसार विभागीय अधिसूचना संख्या–1771 दिनांक–24.07.2008 के द्वारा श्री प्रभुनाथ प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता (यॉंत्रिक) के कनीय श्री उमाकांत पासवान (आई०डी० संख्या–एम० 0291) को अधिसूचना निर्गत की तिथि से अधीक्षण अभियंता (यॉंत्रिक) के पद पर वेतनमान् रुपये 14440–400–18400 में नियमित प्रोन्नति प्रदान की गयी है।

10. सी0डब्लु0जे0सी0सं0–15229/2010 (प्रभुनाथ प्रसाद बनाम बिहार सरकार एवं अन्य) में दिनांक–28.11.2023 को पारित न्यायादेश के अनुपालनार्थ भूतलक्षी प्रभाव से अधीक्षण अभियंता (यॉंत्रिक) के पद पर उपयुक्त एवं उनसे कनीय को देय प्रोन्नति की तिथि से प्रोन्नति प्रदान किये जाने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रोन्नति पर रोक के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई किये जाने के विन्दु पर सामान्य प्रशासन विभाग से परामर्श प्राप्त की गयी है, जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत है :–

प्रासंगिक न्यायादेश एवं विद्वान महाधिवक्ता के परामर्श के आलोक में न्यायादेश के अनुपालन की बाध्यकारी स्थिति है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या–1093 दिनांक–20.11.2018 द्वारा बिहार कार्यपालिका नियमावली, 1979 (समय समय पर यथा संशोधित) की चतुर्थ अनुसूची के भाग–घ में संशोधन किया गया है। इस संशोधन के आलोक में ऐसे मामलों, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अंतिम रूप से न्यायादेश पारित किये गये हों एवं उनके विरूद्ध कोई अपील या पुनर्विचार याचिका दायर करना संभव नहीं हो तो

वित्त विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग एवं विधि विभाग की सहमति के पश्चात् मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंसा को ध्यान में रखते हुए प्रशासी विभाग प्रभारी मंत्री का आदेश प्राप्त कर कार्यान्वयन आदेश निर्गत कर सकता है।

11. उक्त परामर्श के आलोक में सी0डब्लु0जे0सी0सं0–15229/2010 माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–28.11.2023 को पारित न्याय निर्णय के अनुपालन की बाध्यकारी परिस्थिति में श्री प्रसाद को भूतलक्षी प्रभाव से अधीक्षण अभियंता (यॉंत्रिक) के पद पर उपयुक्त एवं उनसे कनीय को देय प्रोन्नति की तिथि (दिनांक–24.07.2008) से प्रोन्नति प्रदान किये जाने के बिन्दु पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष उपस्थापित करने से पूर्व वित्त विभाग का परामर्श/सहमति प्राप्त करने निमित संचिका वित्त विभाग को पृष्ठांकित की गयी, जिसके क्रम में पारित न्यायादेश के आलोक में विद्वान महाधिवक्ता द्वारा अंकित परामर्श, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिये गये परामर्श के आलोक में प्रशासी विभाग द्वारा मामले को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष रखे जाने का प्रस्ताव पर वित्त विभाग द्वारा अनापत्ति व्यक्त की गयी है।

12. विद्वान महाधिवक्ता, बिहार, सामान्य प्रशासन विभाग, वित्त विभाग एवं विधि विभाग द्वारा प्राप्त परामर्श के आलोक में सी0डब्लु0जे0सी0सं0–15229/2010 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–28.11.2023 को पारित न्यायादेश के अनुपालन की बाध्यकारी स्थिति है।

अतएव मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में गठित समिति की दिनांक–16.01.2025 को सम्पन्न बैठक में की गई अनुशंसा के आलोक में श्री प्रभुनाथ प्रसाद, सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियंता (यॉंत्रिक) को भूतलक्षी प्रभाव से अधीक्षण अभियंता (यॉंत्रिक) के पद पर वेतनमान् रुपये 14440–400–18400 में उनसे कनीय को देय प्रोन्नति की तिथि (दिनांक–24.07.2008) से प्रोन्नति निम्नांकित शर्तो के साथ प्रदान की जाती है :–

(i) समिति का यह निर्णय मात्र सी0डब्लु0जे0सी0सं0–15229/2010 के याचिकाकर्त्ता श्री प्रभुनाथ प्रसाद के संदर्भ में ही प्रभावी होगा।

(ii) इसे अन्य मामलों में पूर्वोदाहरण नहीं समझा जायेगा।

13. **प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।**

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(कुमुद रंजन)
संयुक्त सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांकः–14/मुक0–11–01/2024- /पटना, दिनांकः–

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/ वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
संयुक्त सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांकः–14/मुक0–11–01/2024- /पटना, दिनांकः–

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, कोषागार विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
संयुक्त सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांकः—14 / मुक0—11—01 / 2024- / पटना, दिनांकः—

प्रतिलिपिः— मुख्य सचिव, बिहार के आप्त सचिव / अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना / सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना / सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना / माननीय मंत्री, के आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना (दो प्रतियों में) / प्रधान सचिव के आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना / सभी अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना / सभी संयुक्त सचिव (प्रबंधन सहित) / सभी उप सचिव (प्रबंधन सहित), / सभी अवर सचिव (प्रबंधन सहित), जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना / सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार / प्रशाखा पदाधिकारी—18, 20, 22, 23 एवं 24 जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / —
संयुक्त सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांकः—14 / मुक0—11—01 / 2024- / पटना, दिनांकः—

प्रतिलिपिः— सरकार के उप सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, पटना / मुख्य अभियंता, (यो०+अनु०+भू०), लघु जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / —
संयुक्त सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांकः— 14 / मुक0—11—01 / 2024— / पटना, दिनांकः—

निबंधित

प्रतिलिपि— श्री प्रभुनाथ प्रसाद, सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियंता (यॉंत्रिक), **(यो०+अनु०+भू०), लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना** स्थायी पता— श्री प्रभुनाथ प्रसाद, सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियंता (यॉंत्रिक), ग्राम + पोस्ट—चम्पारण, जिला— गोपालगंज, पी0पी0ओ0संख्या— 201011111008, पत्राचार पता— श्री प्रभुनाथ प्रसाद, सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियंता (यॉंत्रिक), आवास सं0—05, सरदार पटेल पथ, उत्तरी श्रीकृष्णापुरी, बोरिंग रोड, पटना—800013 मोबाईल संख्या—887350213 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / —
संयुक्त सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापाकंः— 14 / मुक0—11—01 / 2024— 420 / पटना, दिनांकः— 29/1/25

प्रतिलिपि— कार्यपालक अभियन्ता, आई0 टी0, जल संसाधन विभाग, सूचना प्रावैधिकी केन्द्र, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

29/1/25
संयुक्त सचिव (प्रबंधन)।